

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक) अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा
के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और
निर्दिष्ट सिफारिशें।

*Recommended for
Approval*

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुरक्षित समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

दिनांक— २२/३/८५
स्थान— लखनऊ

Lee
हस्ताक्षर
डॉ. भगवन्न कुमार वर्मा
वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-१९८०,
उ०प्र०, लखनऊ